

वनोपज सहकारी समितियों की भूमिका का अध्ययन बालाघाट जिले के संदर्भ में

सुप्रीत कौर (शोधार्थी)

डॉ. पी.एस. कातुलकर

शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी पी. जी. कॉलेज, बालाघाट (म.प्र.)

सारांश :- पृथ्वी पर सामान्य जीवन जीने के लिए, कुल भूमि का एक-तिहाई भाग वनाच्छादित होना चाहिए, लेकिन आज भारत के लगभग एक-तिहाई हिस्से में लगभग 22 प्रतिशत वन और सघन वन क्षेत्र 10 प्रतिशत ही रह गया है। सहकारीता भारत में लगभग 100 प्रतिशत ग्रामीण और वन क्षेत्रों और 67 प्रतिशत परिवारों की भागीदारी का ग्रामीण और वन क्षेत्रों के अर्थ में एक प्रमुख स्थान है। मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में, आदिवासियों के शोषण को रोकने और उनके उचित अधिकार देने और वन उपज को वनवासियों के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बनाने के लिए वन उपज का सह-संचालन एक उत्कृष्ट प्रयास है।

परिचय :- मध्य प्रदेश राज्य के वन और वन उपज का क्षेत्र बहुत व्यापक है, केवल सरकार या किसी एक संगठन द्वारा सुचारु रूप से इसके सुरक्षा विकास और व्यवसाय, अर्थात् संग्रह और विपणन की व्यवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए इन सभी कार्यों के सुचारु संचालन के लिए, सरकार के साथ-साथ, एक संगठन की आवश्यकता का अनुभव किया गया, जो वनों की सुरक्षा के साथ-साथ वनोपज के व्यवसाय का प्रबंधन कर सके, ताकि ऐसा हो सके कि वन के वास्तविक स्वामी अर्थात् वनवासी और आदिवासी अपनी मेहनत के उचित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अवधारणा का परिणाम मुख्य रूप से प्राथमिक वन उपज सहकारी समितियों की उत्पत्ति के कारण है।

आम तौर पर विपणन वस्तुओं की बिक्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन विपणन विशेषज्ञों का मतलब यह नहीं है कि वे माल की खरीद और बिक्री तक सीमित नहीं हैं, लेकिन खरीद और बिक्री से पहले, यह कार्रवाई का हिस्सा माना जाता है, इसलिए, वृक्ष को जंगलों से इकट्ठा करके और अंतिम उपभोक्ता के पास जाकर वन उपज का उत्पादन किया जाता है। सभी गतिविधियाँ वानिकी के लिए की जाती हैं। वानपूल विपणन प्राथमिक वानिकी सहकारी समितियों के काम से किया जाता है, व्यवहार में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आपसी सहयोग पर आधारित एक विशिष्ट पद्धति का

नाम सहकारीता है। सहयोग के तहत, विभिन्न व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमताओं के उद्देश्य संकलन के साथ, सिद्धांतों के अनुसार, आपसी विकास का एक ढांचा है कि इस प्रणाली के सभी सदस्य एक व्यक्ति के लिए समर्पित हैं और एक और सभी के लिए योगदान करते हैं का सिद्धांत।

वन में रखरखाव के लिए सरकार की भूमिका :- वनवासियों ने शुरू से ही वनों के रख-रखाव, सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखी है। जंगलों में पाए जाने वाले अन्य वन उपज में से अधिकांश, इमरती की लकड़ी को छोड़कर, वन सम्पदा के रूप में, पिछले दिनों निजी ठेकेदारों द्वारा वन उपज का संग्रह और विपणन किया गया है। इस पद्धति से न केवल सरकारी वनों से वनोपज की अवैध निकासी की आवश्यकता थी, बल्कि वनों और आदिवासियों में स्थानीय लोगों का कई तरह से शोषण किया गया। इस शोषण पद्धति को खत्म करने और आदिवासी-वनवासियों को उनकी भूमि और श्रम के लिए उचित इनाम देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग सहकारी संघ की स्थापना की और वास्तविक रूप से वन आदिवासी के भंडारण और विपणन का दायित्व सदस्यों द्वारा वन सहकारी समितियों के हाथों में डाल दिया गया था। वन जीवन है, यह सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि मानव का अस्तित्व वनस्पति और जीवों के अस्तित्व पर निर्भर है। वैदिक मुनियों ने हमारे देश के सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में वृक्ष और वन की भूमिका की सराहना की है। प्रतिष्ठा के प्रति स्नेह और सम्मान की भारतीय परंपरा बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म ग्रंथों वेदों और पुराणों में, वन को मानवशास्त्र के रूप में वर्णित किया गया है।

हिंदू धर्म के अनुसार, प्रत्येक पेड़ या पौधे में विभिन्न देवी-देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। वन दुनिया के लिए एयर कंडीशनिंग और पृथ्वी के लिए कवर और आभूषण के रूप में काम करते हैं। हम जल ऊर्जा ऑक्सीजन भोजन, औषधीय फीड लकड़ी और विभिन्न प्रकार की वन उपज प्रदान करते हैं। वर्षा वर्षा जल संचयन वन


Co-ordinator




Principal

जल भूकंप को रोकता है यह अकाल और बाढ़ की विभीषिका से मुक्ति दिलाता है। किसी देश या राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में वन और वनोपजों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में, सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से वनों और समाजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र छोटे वनोपजों को इकट्ठा करके और बेचकर अपनी आर्थिक और दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं। सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सभी वनों से खाद्य सामग्री मिलती है। वनोपज का संग्रहण जनजातीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य को वनों से कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। भारत में, वनवासियों की बुनियादी जरूरतें छोटे जंगलों से पूरी होती हैं, और देश को मूल्यवान विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। माइनर वनों के तहत, वनों से प्राप्त लकड़ी को छोड़कर सभी वन उपज शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार, आदिवासियों और ग्रामीण लोगों के लिए छोटे वन उत्पाद का अपना महत्व है। देश की 14 प्रतिशत आबादी छोटे वन पशुओं के संग्रह पर निर्भर है। देश में अधिकांश समय जब कृषि नहीं होती है, तब छोटे वनोपजों का रोजगार लोगों को प्राप्त होता है।

बालाघाट जिले के बारे में वन संपदा :-
बालाघाट जिले में, वन आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। बालाघाट जिला समृद्ध वन संसाधनों से संपन्न है, लेकिन जंगल से लकड़ी बास तेंदूपत्ता को नियोजित दोहन में लगाया जाता है और दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाता है।

तालिका 1- ब्लॉक वार वन क्षेत्र प्रतिशत में

| अनु क्रमांक | जिला ब्लॉक | प्रतिशत में वन क्षेत्र |
|-------------|------------|------------------------|
| 1 | बालाघाट | 15.78 |
| 2 | किरनापुर | 7.76 |
| 3 | वारासिवनी | 1.65 |
| 4 | लालबर्गा | 6.01 |
| 5 | खैरलांजी | 1.57 |
| 6 | कटंगी | 5.31 |
| 7 | लांजी | 9.82 |

स्रोत: अधीक्षक भू-अभिलेख बालाघाट

जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ६२२६ वर्ग है। जिले में, सामान्य और उत्तर दक्षिण के कार्यालय और उत्पादन वन प्रभाग उत्तर-दक्षिण-

पश्चिम और उत्पादन कार्यालय हैं। वर्तमान में प्रासंगिक वन प्रबंधन के तहत वन सुरक्षा समितियों और ग्राम वन समितियों की स्थापना करके वन प्रबंधन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। ग्राम समिति और वन समिति जिले में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। जिले की जनजातीय आबादी मुख्य रूप से लघु वनोपज के संग्रह और विदोहन के कार्य से अपनी आजीविका चलाती है। अतिरिक्त वन क्षेत्र के तहत वन क्षेत्रों, में स्थित वन क्षेत्र में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल आजीविका के लिए रोजगार प्रदान करता है, बल्कि अपने स्वयं के उपभोग के लिए बड़ी मात्रा में सामान और सेवाएं भी प्राप्त करता है।

सहयोगी समाज :- सहयोग जीवन दर्शन है। उक्त कहावत को चरितार्थ करते हुए आजाद सहकारी आंदोलन कृषि और ऋण उद्योग व्यवसाय आवास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में जिले का महत्वपूर्ण स्थान है। सहकारिता का कार्य इस प्रकार है: -

1. वन आपूर्ति सहकारी समितियों के माध्यम से विभिन्न समितियों की स्थापना करके आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को लाभान्वित करना।
2. परिवारों के संग्रह और विपणन द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों की आय में वृद्धि, जिसमें शामिल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है।
3. वनोपज विपणन समितियों के माध्यम से वन उपज पर निर्भर परिवारों को ऋण और अग्रिम सुविधा प्रदान करना।
4. एससीपी (अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग) के स्थायी सदस्यों के बीच के मध्यस्थों को हटाकर शोषण से मुक्ति।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों ने बालाघाट जिले में वनोपज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बालाघाट के वनाच्छादित वन में 5 सामान्य वानिकी के कार्यालय हैं। वर्तमान में, संयुक्त वन प्रबंधन के तहत वन सुरक्षा समितियों और ग्राम वन समितियों की स्थापना करके वन प्रबंधन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जिले की जनजातीय आबादी मुख्य रूप से लघु वनोपज के विद्याधन और कश्यत विदोहन के काम से अपनी आजीविका चलाती है। अतिरिक्त वन क्षेत्र के तहत वन सीमा पर स्थित वन क्षेत्रों में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल आजीविका के लिए रोजगार प्रदान करता है, बल्कि अपने स्वयं के उपयोग के लिए

बड़ी मात्रा में सामान और सेवाएं भी प्रदान करता है। बालाघाट जिले की अधिकांश भूमि वनाच्छादित है और इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। बालाघाट वानिकी के विस्तृत वन क्षेत्र के उचित प्रबंधन, प्रशासन, रखरखाव और प्रशासन के उद्देश्य से और आसानी से छोटे वन उपज के संग्रह और विपणन की सुविधा के लिए, बालाघाट जिले के वन क्षेत्र को दो वन अड्डों में विभाजित किया गया है :-

1. वनोपज सहकारी संघ, उत्तर बालाघाट
2. वनोपज सहकारी संघ, दक्षिण बालाघाट

निष्कर्ष :- इस शोध पत्र का विषय मूल रूप से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों, कामकाज, उपलब्धियों और उनकी व्यवहार्यता की स्थापना के उद्देश्य पर केंद्रित है।

हमेशा के लिए वन और वनवासी हमारे मुख्यधारा के समाज, सामाजिक रूप से पिछड़े समाज से दूर हो गए हैं, लेकिन उनके तथाकथित समृद्ध, उन्नत और सम्मानित समाज ने कई तरीकों से उनका शोषण किया है।

शोध पत्र का क्षेत्र बालाघाट वनमंडल है, जो एक बड़ा वन क्षेत्र और जनजातीय यानी अनुसूचित जनजाति भी है। बालाघाट वन, मेयड कूस, वनों की आजीविका का मुख्य साधन है।

संदर्भ :-

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, पांचवीं रिपोर्ट, 1955
2. आदिवासी और वन-वन और जनजातीय, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल, 1977
3. भारत, 1996. प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
4. सिद्दीकी, स्वतंत्रता प्रकाशन, 2006, मध्य प्रदेश अध्ययन
5. सक्सेना एमएस मोहन बॉर्डर, पर्यावरण अध्ययन
6. माथुर एसबी, साहित्य भवन आगरा, सहकारिता

